

1854 का ब्रुक्स डिस्पेंच :-

BOC - अध्यापक, भारत सचिव

- भारत में शिक्षा के विकास में इसे मैन्मार्कर कहा जाता है
- भारत में शिक्षा का उद्देश्य है अंग्रेजी भाषा में पाश्चात्य शिक्षा का विकास, हालांकि भारतीय भाषा में प्राथमिक शिक्षा के विकास की भी बात की गई।
- प्रत्येक प्रांत में शिक्षा विभाग का गठन।
- शिक्षकों के प्रशिक्षण का प्रावधान, महिला शिक्षा एवं तकनीकी शिक्षा के विकास की भी अनुशंसा।
- शैक्षणिक संस्थाओं के लिए अनुदान का प्रावधान।
- लंदन विश्वविद्यालय के तर्ज पर बम्बे, कलकत्ता एवं मद्रास में विश्वविद्यालय की स्थापना

नोट :-

इस डिस्पेंच में अधोगामी निरूपण नीति को दोहराने की घोषणा भी की गई।

- 1858 तक कुछ और स्कूलों एवं कॉलेज की स्थापना की गई।
- जैसे बंगाल एवं मद्रास में इंजीनियरिंग कॉलेज

की स्थापना।

- 1857 में बाम्बे, कलकत्ता एवं मद्रास में विश्वविद्यालय की स्थापना।

मूल्मांकन या आकलन :-

सकारात्मक पहलू :-

- इस चरण में विलम्ब से ही सही शिक्षा के सर्वांगीण विकास के लिए नीतिगत पहल की गई।
- स्कूली शिक्षा से लेकर विश्वविद्यालय शिक्षा एवं तकनीकी शिक्षा के लिए भी कदम उठाए गए।
- सरकार ने पहली बार 1813 में शिक्षा के विकास को दायित्व के रूप में स्वीकार किया।
- सैद्धांतिक तौर पर ही सही श्रद्धांगामी नीति को दोड़ने की घोषणा की गई।
- इस दौर से संबंधित कई शैक्षणिक संस्थाएँ आज भी मौजूद हैं।

आलोचनात्मक पहलू

- शिक्षा के क्षेत्र में जो परिवर्तन का निर्णय लिया गया, उसका विशेष संबंध था ब्रिटिश औपनिवेशिक हितों से न कि भारत के आधुनिकीकरण से।

- ब्रिटिश औद्योगिक क्रांति के कारण भारत में बाजार के विकास के लिए अंग्रेजी जानने वाले ट्रांजलैटर की आवश्यकता थी तथा प्रशासन में सरते क्लर्क की भी, इसीलिए इस-परण में मुम्ब बल स्कूली शिक्षा पर था न कि उच्च शिक्षा पर।
- अधोगामी नीति भी इस तथ्य को प्रमाणित करती है कि कंपनी भारत में शिक्षा का सीमित विकास चाहती थी।
- प्रारम्भ में शिक्षा के विकास के लिए एक लाख रुपये निर्धारित किए गए और विवाद के कारण लम्बे समय तक इस पैसे को खर्च नहीं किया गया। यह तथ्य भी शिक्षा के विकास को लेकर अंग्रेजों की नियंत्रण पर प्रश्न तो खड़े करते हैं या तब तक उत्पन्न करते हैं।
- सैद्धांतिक तौर पर बुद्धि विम्वेष में महिला शिक्षा एवं तकनीकी शिक्षा का समर्थन तो किया गया लेकिन व्यवहार में इसके लिए कोई विशेष कदम नहीं उठाए गए। तकनीकी संस्थाओं में भारतीयों के साथ भेदभाव भी किया गया।
- ब्रिटिश काल में महिला शिक्षा के साथ-साथ आम लोगों की शिक्षा की उपेक्षा भी की गई।
- कंपनी का संसाधनों पर नियंत्रण था इससे स्वदेशी शिक्षा संस्थाओं को भी नुकसान हुआ।

- भारत में अंग्रेजों की शिक्षा के क्षेत्र में क्षेत्रीय एवं वर्गीय भेदभाव भी बढ़ा, ग़रीब भारत एवं आर्थिक रूप से कमजोर लोग शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़ने लगे।

• प्रश्न: कम्पनी के शासन काल में कम्पनी की शिक्षा नीति का मूल्यांकन करें !

प्रश्न: ब्रिटिश भारत में कम्पनी की शिक्षा नीति औपनिवेशिक हितों से संचालित थी! इस कथन का परीक्षण कीजिए ?

प्रश्न: ब्रिटिश भारत में कम्पनी की शिक्षा नीति पर निबंध लिखें ?



तृतीय चरण - 1858-1947 के मध्य

- 1882-83 - इंटर शिक्षा आयोग - प्रथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा के सन्दर्भ में सुझाव देना।
 - बुडन डिपेंच की प्रगति की समीक्षा करना।

कर्जन के काल में -

(1899-1905) - 1901 में शिमला में उच्च शिक्षा के लिए एक सम्मेलन बुलाया गया।

- इसके पश्चात् आमस रेल की अदक्षता में एक आयोग गठित किया गया।

- 1904 में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित किया गया और विश्वविद्यालयों पर सरकारी नियंत्रण बढ़ा दिया गया।

- 1913 में एक सरकारी प्रस्ताव निःशुल्क शिक्षा के सन्दर्भ में पारित किया गया।

- 1917 - सैडलर आयोग (इसमें दो भारतीय भी थे) कलकत्ता विश्वविद्यालय पर सरकारी नियंत्रण की आलोचना की।

- 1919 - हार्लेग समिति - इसको शिक्षा के विकास के सुझाव के लिए जाना जाता है।

1937 - शिक्षा की वर्धा योजना -

- जाकिर हुसैन समिति की अनुशंसा पर प्रांतीय सरकारों के द्वारा लागू करने का प्रयास किया गया।
- महा गांधी जी के बेसिक शिक्षा पर आधारित था जिसमें मातृभाषा में शिक्षा एवं व्यवसायिक शिक्षा पर विशेष बल था।

1944 - सार्वजनिक योजना -

- 6-11 वर्ष तक के बच्चों के लिए निशुल्क शिक्षा का सुझाव।

1948 - राधा कृष्ण आयोग - डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन के द्वारा राधा आयोग का गठन किया गया।

1953 - में इन्ही के द्वारा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) का गठन किया गया।

ब्रिटिश काल में समाज सुधार कानून

समाज सुधार कानून :-

- 1795 और 1804 ई. में शिशु हत्या को रोकने के लिए कानून बनाया गया।
- 1829 ई. में सती प्रथा को रोकने के लिए कानून बनाया गया। (राम मोहन राय)
- 1843 ई. में दास प्रथा को रोकने के लिए कानून।
- 1844 ई. में मानव बलि प्रथा को रोकने के लिए कानून।
- 1856 ई. में विधवा पुनर्विवाह कानून।
- 1872 ई. में ब्रह्म विवाह कानून - (केशव चन्द्र सेन)
लड़कों के लिए विवाह की उम्र - 12
लड़कियों के लिए विवाह की उम्र - 14
- 1891 में सम्पत्ति श्राप आधिनियम
लड़कियों की विवाह - 12 वर्ष.
- 1930 में शारदा आधिनियम
लड़कों की विवाह ^{आयु} 18 वर्ष
लड़कियों की विवाह ^{आयु} 14 वर्ष
- हरबिलास शारदा की बड़ी भूमिका थी
इस कानून को निर्मित कराने में।

संक्षिप्त मूल्यांकन

- ब्रिटिश काल में जिन सामाजिक कुसूरियों को दूर करने के लिए कानून बनाए गए उन कुसूरियों का प्रचलन भारत में हजारों वर्षों से था।
- इन कुसूरियों को दूर करने के लिए अंग्रेजों के द्वारा बनाए गए कानून निश्चित तौर पर एक साहायिक कार्य था।
- पह मानवीय दृष्टिकोण से भी एक महत्वपूर्ण कदम था।
- महिलाओं की मुक्ति तथा आधुनिक समाज के संक्रमण के दृष्टिकोण से भी ये कानून महत्व रखते हैं।
- हालांकि तस्वीर का एक दूसरा पहलू भी है अंग्रेजों के द्वारा कानूनों का निर्माण तो किया गया लेकिन इसे प्रभावी तरीके से क्रियान्वित नहीं किया गया।
- इन कानूनों के निर्माण के दौरान भारतीय बुद्धजीवियों का भी सहयोग मिला।
- ब्रिटिश सरकार इन समाज सुधार कानूनों को 1857 के विद्रोह का एक महत्वपूर्ण कारण मानी थी। और 1857 के पश्चात सरकार के द्वारा समाज सुधार कानूनों की उपेक्षा की गई।
- न केवल अंग्रेजों ने इसकी उपेक्षा की बल्कि

भारतीयों को विभाजित करने के लिए जाते
एवं धर्म के नाम पर लड़ने का प्रयास भी किया।

